

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)**प्रथम सूचना रिपोर्ट**
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Panchkula **Year (वर्ष):** 2025**FIR No. (प्र.सू.रि. सं.):** 0002**Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):**

13/03/2025 16:30 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	409
2	IPC 1860	419
3	IPC 1860	420
4	IPC 1860	467
5	IPC 1860	471
6	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
7	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(a)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**1 **Day (दिन):** Intervening Days**Date from (दिनांक से):**

01/01/2020

Date To (दिनांक तक):

31/12/2021

Time Period (समय अवधि):**Time From (समय से):** 00:00

hrs

Time To (समय तक):

00:00 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 13/03/2025 **Time (समय):** 15:10 hrs(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):****Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 010**Date and Time (दिनांक और समय):**

13/03/2025 15:25 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written5. **Place of Occurrence****(घटनास्थल):**1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** EAST, 20 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**(b) **Address (पता):** बीज वितरण केन्द्र बरवाला,(c) **In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):****District (State) (जिला (राज्य)):**

6. Complainant (नॉम) / Informant (सिक्कायतकर्ता) / सूचनाकर्ता):

(a)

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 13/12/1979 (d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address

(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	PS ACB PKL, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	PS ACB PKL, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-7986918107

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	राजेश कुमार सैलज मैन			1. बीज वितरण केन्द्र बरवाला, PANCHKULA, HARYANA, INDIA
2	अज्ञात अधिकारियों व कर्मचारियों			1. हरियाणा बीज विकास निगम, HSDC, PANCHKULA, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11.

Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
---------------------	--------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल लेख इस प्रकार से है

सेवा में,
प्रबंधक थाना,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सैक्टर-17, पंचकूला,
पंचकूला मण्डल, पंचकूला।

श्रीमान जी.

निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय, पंजाब एवं हरियाणा, चण्डीगढ़ द्वारा सी.डब्ल्यू.पी. न. 5898 ऑफ 2022 में पारित आदेश दिनांक 09.05.2024 की अनुपालना में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पंचकूला के याद क्रमांक 12136/आई-1/ए.सी.बी. (एच) दिनांक 24.06.2024 अनुसार जांच क्रमांक 03 दिनांक 21.06.2024, पंचकूला दर्ज होने उपरान्त पड़ताल हेतु प्राप्त हुई थी, जिसमें आरोप था कि हरियाणा राज्य के किसानों द्वारा वर्ष 2020 में हरियाणा बीज विकास निगम (HSDC) से गेहूँ का बीज खरीद किया गया था। हरियाणा बीज विकास निगम (HSDC) के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा सरकारी रिकार्ड में अंकित गेहूँ का बीज खरीद करने वाले किसानों के नामों के सामने किसान द्वारा खरीद किए गए असल गेहूँ के बीज की थैलियों की मात्रा के अतिरिक्त सम्बन्धित किसान द्वारा ज्यादा मात्रा में गेहूँ के बीज खरीद करने बारे झूठा रिकार्ड तैयार करके गेहूँ बीज में दी जाने वाली सब्सिडी में गबन करके सरकार को आर्थिक नुकसान पहुँचाया है। जाँच उपरोक्त के आधार पर संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आपराधिक मामला बनता है या नहीं, के बारे में जाँच की जानी थी, जिसकी जांच निरीक्षक धर्मवीर, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पंचकूला द्वारा की गई थी। आरोप की पड़ताल के दौरान पाया गया कि, वर्ष 2020-21 में रबी की फसल RKVY (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना) के तहत जिला पंचकूला के बिक्री केन्द्रों पिंजौर, गणेशपुर भोरिया व बरवाला में गेहूँ बीज वितरित किया गया था। हरियाणा बीज विकास निगम द्वारा जिला पंचकूला के बिक्री केन्द्रों पिंजौर, गणेशपुर भोरिया व बरवाला में कुल 1837 किसानों को गेहूँ बीज वितरण किया गया जिसमें बीज वितरण केन्द्र पिंजौर में 526, गणेशपुर भोरिया में 323 व बरवाला बीज वितरण केन्द्र में 988 किसानों को गेहूँ बीज वितरण किया गया है। जांच के दौरान 1837 किसानों में से रेन्डमली 10 प्रतिशत यानी के 250 किसानों को शामिल जांच किया गया था। जिसमें से 222 किसानों द्वारा गेहूँ का बीज ठीक खरीद करना पाया गया था। जांच के दौरान 28 किसानों के कथन विवादित पाए गए हैं, जिनमें बीज वितरण केन्द्र बरवाला, जिला पंचकूला के 18 किसानों ने अपने कथन में लिखवाया है कि उनके द्वारा वर्ष 2020-21 में बरवाला बीज वितरण केन्द्र से बीज खरीदा गया था, लेकिन उन द्वारा कम बीज खरीदा गया था, लेकिन उनके नाम पर ज्यादा बीज लेना दर्शाया गया है। जो रिकार्ड के अनुसार मिलान होना नहीं पाया गया है तथा 10 किसानों द्वारा वर्ष 2020-21 में बरवाला बीज वितरण केन्द्र से गेहूँ बीज खरीदना ही नहीं पाया गया जबकि उनका बीज वितरण सूचि में नाम पता, आधार कार्ड नं, मोबाईल नंबर ठीक अंकित करके वितरण करना दर्शाया हुआ है। अभी तक यह बात सामने नहीं आई है कि उनके नाम पता, आधार कार्ड नं, मोबाईल नंबर सैलज मैन के पास कहाँ से आए हैं, यह विषय अनुसंधान का है। पड़ताल के दौरान वर्ष 2020-21 में जिला पंचकूला के बीज वितरण केन्द्र, पिंजौर व अस्थाई बीज वितरण केन्द्र गणेशपुर भोरिया पर किसानों को सब्सिडी पर बीज वितरण किया गया है उसमें अभी तक कोई भी अनियमितता नहीं पाई गई है लेकिन बरवाल बीज वितरण केन्द्र के सैलज मैन राजेश कुमार द्वारा 18 किसानों के नाम पर ज्यादा मात्रा में बीज खरीद करना अंकित किया जाना पाया गया है और तस्दीक के दौरान 10 किसान ऐसे पाए गए हैं जिन्होंने कोई गेहूँ का बीज ही नहीं खरीदा और बीज वितरण सूची में उनके नाम पर गेहूँ का बीज खरीदना अंकित किया हुआ है। अतः बरवाला बीज वितरण केन्द्र के सैलज मैन राजेश कुमार द्वारा वर्ष 2020-21 में 28 किसानों के नाम गलत तरीके से गेहूँ के बीज को उनके नाम पर अंकित करके

बीज वितरण में अनियमितता करनी तस्दीक हुई है और वर्ष 2020-21 का बरवाला बीज वितरण केन्द्र का रिकार्ड सैलज रजिस्टर, कैश मैमो, स्टॉक रजिस्टर का भी हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड यमुनानगर के रिकार्ड के अनुसार गुम होना पाया गया है। रिकार्ड सैलज रजिस्टर, कैश मैमो, स्टॉक रजिस्टर वर्ष 2020-21 की जिम्मेवारी राजेश कुमार सैलज मैन की बनती थी। अतः बरवाला बीज वितरण केन्द्र जिला पंचकूला के सैलज मैन राजेश कुमार तथा अन्य अज्ञात अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध धारा 409,420,467,468,471 व 120-बी भा०दं०सं० के अन्तर्गत दर्ज मुकदमा करने का सुझाव दिया गया था। जांच की अन्तिम रिपोर्ट अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकूला की टिप्पणी सहित पत्र क्रमांक 19635/आई-1/एसीबी (एच) दिनांक 29.11.2024 द्वारा मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग को भेजी गई थी। मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग के यदि क्रमांक 66/46/2024-6 चौ. दिनांक 04.03.2025, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकूला के पृष्ठांकन 3677/आई-1/एसीबी (एच) दिनांक 05.03.2025 पंचकूला अनुसार बरवाला बीज वितरण केन्द्र जिला पंचकूला के सैलज मैन राजेश कुमार तथा इस अपराध में शामिल अन्य अज्ञात अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध धारा 409,419,420,467,471 भा०दं०सं० व 13(1) (ए) R/W 13(2) के अंतर्गत अभियोग अंकित करने के आदेश प्राप्त हुए हैं जिनकी अनुपालना में लेख लिखकर बराय करने अंकित अभियोग आपके पास भेजा जा रहा है। जिस पर अभियोग अंकित करके प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां स्पेशल जज अदालत, पंचकूला व उच्च अधिकारियों की सेवा में भिजवाई जाए अभियोग की पुलिस फाइल व असल लेख आगामी अनुसंधान हेतु अन्य अनुसंधान अधिकारी के हवाले किया जाए। अज थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पंचकूला। SD SHYAM LAL (नि० श्याम लाल) थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पंचकूला, मण्डल पंचकूला। दिनांक 13.03.2025 AT 3:10 PM अज थाना- उपरोक्त तहरीर पर अभियोग नम्बर 02 दिनांक 13.03.2025 धारा 409,419,420,467,471 भा०दं०सं० व 13(1)(ए) R/W 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पंचकूला अंकित करके स्पेशल रिपोर्ट ई. मेल के माध्यम से स्पेशल मैजिस्ट्रेट साहब, जिला पंचकूला की सेवा में व उच्च अधिकारियों की सेवा में भिजवाई जा रही है। असल तहरीर व अभियोग की पुलिस फाइल आगामी अनुसंधान हेतु अनुसंधान अधिकारी नियुक्त करने के लिए उच्च अधिकारियों को अलग से पत्र लिखा जाएगा। इन्द्राज रिकार्ड विधि अनुसार किया गया।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Shyam lal Rank (पद): I (Inspector)
No. (सं.): 123pkl to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)
- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Manisha Choudhary

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No. (सं.): IPS

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के
हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7

संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	01/10/1978				Is pox pitted: Yes
2	Unknown	02/01/1985				Is pox pitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)